

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स:0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/18/2023/एफ.सी. | 1010

दिनांक: 16/03/2023

सेवा में,
✓

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बंसू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तना (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/149024/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1374/FP/UK/ROAD/149024/2021 दिनांक 05.12.2022 (uploaded on 16.02.2023)

महोदय,


उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- 1) The beneficiary village is already situated along an existing road. Therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.
- 2) If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.

- 3) The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.
- 4) The State Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

/
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)